DEMAND NO. 106—DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

"That a sum not exceeding Rs. 16,07,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976, in respect of 'Department of Parliamentary Affairs'."

DEMAND NO. 107—SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

"That a sum not exceeding Rs. 4,17,000 on Revenue Account be granted to the President *to complete* the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1976, in respect of 'Secretariat of the Vice-President'."

18.09 hrs.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL,* 1975

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the Services of the financial year 1975-76.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the Services of the financial year 1975-76."

The motion was adopted.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Sir, I introduce †† the Bill.

I beg to move††:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1975-76, be taken into consideration."

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1975-76, be taken into consideration."

Mr. Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, सरकार एक ओर खर्चे में कटौती करने की बात करती है, यहां तक कि कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते, वेंतन, बोनस आदि गो भी इन्होंने फ्रीज कर दिया है। दूसरी ओर फिजूलखर्ची की परिपाटी पहले की तरह चल रही है।

मुझे जानकार सूत्रों से पता चला है कि उद्योग मंत्रालय के तहत जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज विभाग आता है उसके डवलपमेंट कमिश्नर का कार्यालय निर्माण भवन में है, लेकिन इस कार्यालय का एक हिस्सा अब निर्माण भवन से एक्का भवन में जा रहा है और उसके लिये श्री पाई सहाब का मंत्रालय 15 हजार रुपये मासिक किराया देने जा रहा है। यह एक्का भवन वहां है जहां सेन का नर्सिंगहोम है।

सप्लाई मिनिस्ट्री के बारे में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी और मैंने उसको रुकवाया था। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अब खर्चे

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 29-4-1975.

††Introduced/moved with the recommendation of the President.

में बचत करने की बात चल रही है तो इस तरह की फिजूलखर्ची को वह क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्या उनके मंत्रालय में इस तरह के फिजूलखर्ची के कामों पर रोक लगाने की कोई मशीनरी नहीं है? मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री भी इस तरह के फिजूलखर्ची के कामों पर अपना नियंत्रण कैसे रखते हैं।

श्री सुकर नारायण बखिया दो बार नजरबन्द किये गये। एक बार एन्टी समगलिंग आर्डिनेंस के तहत और उसके बाद जब हम लोगों ने एंटी समगलिंग कानून पास किया, तो उसके तहत भी उनकी नजरबन्दी हुई। उन्होंने इस नजरबन्दी को बम्बई हाई कोर्ट में शुरू में चुनौती दी थी। उस समय उनकी नजरबन्दी के जो कारण बताये गये थे, अदालत ने कहा था कि इन कारणों को पढ़ने से ही पता चलता है कि इनमें से एक दो फर्जी हैं, या अस्तित्व में ही नहीं हैं। यह टीका-टिप्पणी बम्बई हाई कोर्ट ने की थी। उसके बाद हम लोगों ने कानून पास किया। सरकार ने नये नजरबन्दी का आर्डर जारी किया। हाई कोर्ट द्वारा इस तरह की टिप्पणी किये जाने के बाद भी उन्हीं कारणों को दोहराया गया, जिसके फलस्वरूप जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया तो सुकर नारायण बखिया की नजरबन्दी को गैर-कानूनी घोषित कर के हाई कोर्ट ने उसको समाप्त किया। यह बात मैंने 22 तारीख को भी कही थी। उस समय श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि नहीं, नहीं, कोई अफसर दोषी नहीं है।

आज मैं यह मांग करना चाहता हूं कि पहली नजरबन्दी के जो कारण अदालत में पेश किये गये और दूसरी नजरबन्दी के जो कारण हैं, उनको सदन के टेबल पर रखा जाये। सदन स्वयं निर्णय कर सकता है कि जानबूझ कर इस तरह के गलत कारणों को देकर क्या सरकारी यंत्र में कुछ अफसर इन स्मगलरों के साथ मिलकर इनकी रिहाई का रास्ता प्रशस्त नहीं कर रहे थे? मैं कोई अभियोग नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन वित्त मन्त्री दोनों कारण सदन के सामने रखें और जो भी स्पष्टीकरण उन्हें करना है, वह करें और जांच करने पर दोषी अफसरों को सस्पेंड करें।

हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। इस एक्ट के तहत यह नियम बनाया गया कि यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक साल में एक बार होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कोर्ट की आखिरी बैठक 1 अक्तूबर, 1973 को हुई थी। इसका मतलब यह है कि 1 अक्तूबर, 1974 तक यूनिवर्सिटी कोर्ट की दूसरी बैठक होनी चाहिये थी। श्री दंडवते और श्री मावलंकर आदि लोग उसके सदस्य हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक साल टल गया, उसके बाद 8 महीने हो गये हैं लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय कोर्ट की कोई बैठक नहीं हुई है।

एक माननीय सदस्य अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी यही हालत है।

श्री मधु लिमये: सब की बात तो मैं कह नहीं सकता हूं। माननीय सदस्य अलीगढ और बनारस की बात कर सकते है। लेकिन मैं यह बताया चाहता हू कि कानून का किस तरह उल्लंघन हो रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना किन लोगों के लिये की गई थी? क्या अमीरों और बड़े लोगों के बेटों के लिये यह विश्वविद्यालय बनाया गया था? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय मे एक लड़के पर एक साल में कितना खर्च होता है? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि एक प्राध्यापक के पीछे कितने छात्रों को पढ़ाया जाता है, यानी लेक्चरार और छात्रों के रेशो के बारे में भी जानकारी चाहता हूं।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की एक ताजा रिपोर्ट मेरे पास है। उससे पता चलता है

कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ऊपर नान-प्लांड खर्चा लगभग 54 लाख हुआ। जहां तक प्लान के अन्दर खर्चे का प्रश्न है बनारस विश्वविद्यालय पर जिसमें 10 हजार छात्र पढ़ते हैं, वहां 6 करोड़ का खर्च है जबकि इस विश्वविद्यालय पर, जहां कि लगभग 1 हजार छात्र पढ़ते हैं, सरकार खर्च करती है 3 करोड़ 24 लाख रुपये। क्या सरकार का यही समाजवाद है? वह एक एलीट यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहती है। सुना है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण बड़े लोगों के द्वारा इसलिये कराया गया क्योंकि बनारस में गड़बड़ी होती है, लखनऊ में गड़-बड़ी होती है, इसलिये अमीरों और बड़ लोगों के लड़के इस विश्वविद्यालय में शांति से पढ़े सकें और इसी में से सरकार के अफसर और डिप्लोमेंट पैदा होने वाले हैं। श्री नूरूलहसन कहां हैं, मुझे पता नही है। मैं जानना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कोर्ट की बैठक क्यों नहीं होती, और इस तरह का खर्च एक अमीरों के विश्वविद्यालय के लिये क्यों किया जा रहा है?

दिल्ली प्रशासन के बारे में मैं कहना चाहता हूं। कल मैंने श्री मांगे राम के इस्तीफे का मामला उठाया था। दिल्ली प्रशासन में क्या हो रहा है? दिल्ली प्रशासन के बजट में स्कूली बच्चों के लिये दिन में उनको खाना खिलाने के लिये, मिड-डे स्कूल लंच की जो योजना है, उसके तहत जो रकम निर्धारित की गई थी, उसका इम्तेमाल, उसका विनि-योग कुछ दूसरे कामों के लिये हुआ। इतना ही नहीं, ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी ने, जो विदेशी कम्पनी है, बच्चों के लिये जो बिस्कुट दिये, वह खराब और सब-स्टैंडर्ड थे। तो जो रद्दी माल है वह बच्चों के लिये देते हैं, यह दिल्ली प्रशासन की स्थिति है, जिसके बारे में इस सदन की सीधी जिम्मेदारी है। इस तरह की बातें अगर दिल्ली में होंगी तो अन्य जगहों पर क्या होता होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।

आंध्र के एक संसद्-सदस्य इसी सदन के सदस्य श्री एम० टी० राजू के बारे में मैं अर्से से नोटिस दे रहा हूं। मैंने प्रधान मन्त्री को भी पत्र लिखा कि उनका लैण्ड-ग्रैब का मामला ही नहीं, जो राज्य के अधीन आता है, इनकम टैक्स इवेजन का भी मामला है। मैं नोटिस देकर बोल रहा हूं। मैं वित्त मन्त्रालय से जान-कारी चाहता हूं। मुझे प्रधान मन्त्री ने कहा था कि इसकी जल्दी जांच कर के सदन को और आपको अवगत किया जायेगा। मैं वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस मामले में जांच कहां तक आई है और उसका क्या नतीजा निकला है? सरकार इस तरह की बातों को रोकने के लिये कौनसी ठोस कार्यवाही करने जा रही है?

मैं इसी तरह का इस सदन के एक सदस्य के आचरण के बारे में सवाल उठाना चाहता हूं। सदन के सदस्य जो होते हैं, उनका प्रभाव होता है। वह मंत्रियों को प्रभावित कर सकते हैं। वह अपने लिये, अपने रिश्तेदारों के लये लाइसेंस प्राप्त करते हैं।

यह दक्षिण बिहार की घटना है। वहां एक फैक्टरी खोली जाती हैं। अभी तक मशीनरी लगी भी नहीं है, इरैक्शन भी नहीं हुआ है। तो इसी बीच में इस फैक्टरी को बेचने का करार होता है। वह एक फ्लोर मिल को बेची जाती है। उसके बाद बात चलती है, एक दूसरी फ्लोर मिल उसके लिये अधिक दाम, लगभग 18 लाख, देने के लिये तैयार है। तो वह पहली फ्लोर मिल को बेचने के बजाय दूसरी को दी जाती है। पहली फ्लोर मिल वाले ने बड़ा हल्ला किया कि इस तरह का एग्रीमेंट हमसे हुआ था लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। मैंने सुना है कि एक मंत्री ने बीच-बचाव भी किया और 3 लाख रुपये मुआवजा देकर इस मामले को निपटाया गया। लेकिन फिर भी लाइसेंस प्राप्त करने और फैक्टरी को बेचने में कम-से-कम 5,7 लाख रुपये बनाये गये हैं।

मैं आपके सामने विनम्रतापूर्वक यह सवाल उठाना चाहता हू कि संसद-सदस्यों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है जैसे मिनिस्टरों से आसानी से मिल सकते है, क्या उसका इस्तेमाल हम लोगो को परिवार और व्यक्तियो के स्वार्थों को हासिल करने के लिये करना चाहिये ? आज मैं उनका नाम नही लूगा । मैंने इस बारे में प्रश्न भी दिया है और वह आ रहा है । मैं अपने सभी साथी भाइयों से यह जानना चाहता हूं कि क्या हम लोगो को अपने अधिकार का इस तरह से प्रयोग करना चाहिये ? अगर हम ऐसा करेंगे तो सदन के बारे मे और ससद-सदस्यो के बारे मे– मैं इसमें कांग्रेस पार्टी या विरोधी पक्ष की बात नही कर रहा हू––जनता के मन में क्य भावन उत्पन्न होगी, उस पर भी हम लोगो को जरूर विचार करना चाहिये ।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): On several occasions it has been mentioned in this House that the refugees in West Bengal have not been treated properly. The Government of West Bengal submitted a master plan and there they mentioned that at least a sum of Rs. 156 crores will be necessary for the re-settlement of these refugees. The Minister himself assured here that a Committee will be set up to go into the matter. A raw deal has been meted out to the refugees of East Bengal now staying in West Bengal in comparison to the refugees coming from West Pakistan. This is an established fact. The Government of West Bengal also tried to draw the attention of the Centre urging that some proper and immediate steps must be taken. My simple question to the Minister is as to what happened to the Committee which was about to be formed but the Planning Minister, Secretary of the Planning Ministry refused to be included in that Committee and from that day the idea of setting up the Committee to go into the matter of disparity and discrimination raised here was dropped? The Minister may kindly let us know as to what is the position? What has happened to the giving of right of ownership to the plot holders of the squatters colony and what has happened to the development of those colonies? After 27th year of independence they are not living like human beings. We feel ashamed that thousands of refugees are leading a sub-standard life. They have no means of employment, no means of livelihood and we are doing criminal offence to these poor refugees. So my question to the Minister is this. Kindly state what the state of affairs in this matter is. What is it that you are going to do in respect of what you promised and assured in this House that you will take proper, positive and concrete steps and you will form the Committee. What has happened to that Committee? These are my questions.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बेरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं लेबर मिनिस्ट्री के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हू ।

आज लेबर मिनिस्ट्री जिस तरह से फक्शन कर रही है, उस का सब से ज्यादा नुक्सान देश के लाखों वर्करों को उठाना पड रहा है । जूट की स्ट्राइक 47 दिन तक चली, जिस से देश को बहुत हानि हुई, फारेन एक्सचेज बर्बाद हुआ लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की । इसी तरह डाक और पोर्ट में भी स्ट्राइक हुई, जिस से करोडो रुपयों का नुक्सान हुआ । आज देश में सैकड़ों कारखाने बन्द हो रहे है, जिस की वजह से हजारों आदमी बेकार हो गये हैं । लेकिन लेबर मिनिस्ट्री ने इस बारे में कोई दिलचस्पी नही ली है और इन्टरवीन नही किया है । कानपुर में पावर की कमी के नाम पर हजारों वर्करों को ले आफ कर दिया गया है, जिस से उन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । लेबर मिनिस्ट्री ने इस में भी इन्टरवेन्शन नहीं किया है । कोलार गोल्ड फील्ड में भी यही हालत है । लेबर

मिनिस्ट्री किसी भी मामले में कोई डिसिजन नहीं लेती है, जिस की वजह से ले आफ और लाक आउट हो रहे हैं और करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो रहा है । लेबर मिनिस्ट्री इन मसलों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है ।

लेबर रिलेशन्ज के बारे में लेजिस्लेशन लाने के बारे में लेबर मिनिस्ट्री तीन चार साल से डिसकशन कर रही है, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल नही किया गया है ।

लेबर स्टैंडिंग कमेटी में एम्पलायर्ज और एम्पलाईज के रिप्रेजेन्टेटिव लेकर अलग अलग समस्याओं पर विचार करते थे और लेबर सम्बन्धी कानून के बारे में उस को कनसल्ट किया जाता था । लेकिन अब उस कमेटी को भी बुलाना बन्द कर दिया है ।

अलग अलग कमेटियों में यूनियनो के नुमायंदों को बुलाने के बारे में पार्शेलिटी बरती जा रही है और सी० आई० टी० यू० के प्रतिनिधियो को नही बुलाया जाता है, जिस की आठ नौ लाख मेम्बरशिप है ।

जहां तक रेकगनीशन का सवाल है, अभी तक केन्द्रीय संगठनों का वेरिफिकेशन नही हुआ है । कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई डिसिजन नहीं हो पाया है ।

लेबर मिनिस्ट्री कोई ठोस काम करने के बजाये दलबन्दी और पार्शेलिटी के काम कर रही है । इस वजह से देश में बहुत संकट पैदा हो रहा है । इस मिनिस्ट्री का फंक्शनिंग ठीक न होने के कारण मजदूरों को बहुत परेशानी हो रही है ।

बंगाल में एक एक्सपर्ट कमेटी ने यह सिफारिश की कि जूट एम्पलाईज और दूसरे वर्करों को 63 रुपये डी०ए० मिलना चाहिए। लेकिन लेबर मिनिस्ट्री से बातचीत कर के, और डी० आई० आर० लगा कर, 63 रुपये को कम कर के 16 रुपये कर दिया गया । इस तरह इस मिनिस्ट्री का काम सिर्फ मजदूरों को परेशान करना हो गया है ।

हिन्दुस्तान भर में सी० आई० टी० यू० के लाखों मेम्बर हैं, लेकिन मुख्तलिफ कमेटियों में उस को रिप्रेजेन्टेशन नही दिया जाता है और गुटबन्दी व दलबन्दी की जाती है । यही कारण है कि पूरे देश के मजदूरों में असंतोष बढ़ रहा है ।

तो इस मिनिस्ट्री के बारे में ये कई सवाल मैंने उठाए है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन सवालों का जवाब देंगे । मैं भी कंसल्टेटिव कमेटी का मेम्बर हूं । पर मैं जब कंसल्टेटिव कमेटी में पूछता हूं तो हमारे मिनिस्टर साहब हंसते हैं । अभी कंसल्टेटिव कमेटी का एक यूनानिमस डेसीशन हुआ कि रेलवे के पास जो हाई कोर्ट के डेसीशन्स हैं कि एम्प्लाईज को रीइंस्टेट करना चाहिए, उस के मुताबिक उन को री-इंस्टेट किया जाना चाहिए । यह पांच हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सबको जो हड़ताल पर थे और जिनको निकाला गया था, उनको वापिस काम पर लेने का आर्डर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में न जा कर इस फैसले को तुरन्त लागू किया जाय । यूनानिमस हुआ था । यह कैबिनेट को कम्यूनिकेट करना चाहिए और इस के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए । लेकिन आज तक मंत्री महोदय ने उस के बारे में भी कुछ नहीं बताया अब कल सुबह फिर कन्सल्टेटिव कमेटी की मीटिंग है वहां मैं फिर इस बात को रखूंगा ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे छः प्वाइंट्स लिख कर भेजे हैं। लेकिन मैं दो को छोड़ देता हूं। केवल चार प्वाइंट्स की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

पहली बात पीने के पानी के संकट के बारे में है । आप जानते हैं पूरे हिन्दुस्तान

के विभिन्न राज्यों में पीने के पानी का संकट है और मैं जिस राज्य से आता हूं जो सब से पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार, वहां तो तमाम जिलों में किसी न किसी रूप में पानी का संकट विद्यमान है । पटना की आबादी पांच लाख है । वहां कोई भी मुहल्ला शायद ही ऐसा होगा, जहां पूरा पूरा पानी लोगों को मिल पाता हो । बड़ी परेशानी है । दफ्तरों में जाने में कठिनाई होती है । पीने को पानी नहीं मिलता है, नहाने की बात तो छोड़ दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : गंगा में पानी नहीं है ?

श्री रामावतार शास्त्री : गंगा के होते हुए भी यह हालत है । दुर्भाग्य की बात है कि पटना बिलकुल गंगा के किनारे पर है, उस के बावजूद उस की यह हालत है । मुंगेर गंगा के किनारे है, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे हैं और बड़े बड़े उद्योग धन्धे वाले शहर हैं । लेकिन तमाम जगह और देहातों में खास तौर से पीने के पानी का अभाव है । देहातों में कुएं सूख रहे हैं । 13 सौ कुएं नालंदा जिले के सूख चुके है । तो सरकार को वार फुटिंग पर पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए वरना लोग भूख से तो मर ही रहे हैं, पानी के बिना और जल्दी मर जाएंगे ।

दूसरी बात गन्दी बस्तियों के बारे में है । गन्दी बस्ती सफाई योजना आप ने चला रखी है । कुछ शहरों को केन्द्रीय सरकार ने अपनी उस योजना के तहत लिया है । उस में एक शहर पटना भी है । वहां की सरकार ने आप से 42 लाख रुपये मांगें । आप ने 20 लाख रुपया दे दिया । 22 लाख अभी तक नहीं दिया । पटना आप चलिए और चल कर देखिए क्या हालत वहां है । मैं चाहूंगा कि मंत्री लोग जरा चल कर विजिट कर आवें । रात को वहां आप सो नहीं सकते, इतने ज्यादा मच्छर हैं । वह इसलिए है कि वहां भूमिगत नालियां नहीं हैं । पूरा शहर गन्दा है । सड़कें टूटी हुई हैं । गलियां साफ नहीं हैं । अगर आप पैसा नहीं देंगे और अपनी योजना में केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए रखेंगे तो न सफाई हो सकेगी न पानी की व्यवस्था हो सकेगी, न रोशनी की व्यवस्था होगी । वह शहर राजधानी हो हुए भी बिलकुल गंदी स्थिति में रहेगा । मैं चाहूंगा कि जो मांग बिहार सरकार ने रखी है उस का पैसा जो अभी तक आप बकाया रखे हुए है वह उनको दीजिए ताकि वह गन्दी बस्ती सफाई योजना को सफल बना सकें और पटना शहर साफ सुथरा बन सके ।

तीसरी बात भूमि अर्जन से संबंधित है । जब सरकार को जमीन की जरूरत होती है तो किसान बेचारा तो दे ही देता है, गो कि आप मुआवजा पूरा पूरा नहीं देते हैं । लेकिन इस तरह का कोई कानून आपने अभी तक नहीं बन या कि बड़े बड़े लोग और धनी लोग जो सहयोग समितियां बना कर जमीन एक्वायर करा लेते हैं उस से उन को रोका जा सके । इस प्रकार का कोई कानून आप ने नहीं बनाया । बड़े बड़े शहरों में इस तरह का काम हो रहा है । मेरे यहां यानी पटना में स्वयं सरकार ऐसा कर रही है कि गरीब लोग जिन के पास एक कट्ठा, दो कट्ठा जमीन है वह भी उन से ले कर पता नहीं उन्हें कहां पहुंचाना चाहती है और बड़े बड़े धनी लोग गृह निर्माण सहयोग समितियां बना कर जमीन ले रहे हैं । एक बुद्ध गृह निर्माण सहयोग समिति बनी हुई है जो 50–60 एकड़ जमीन लेना चाहती है और उस में जो लोग हैं उन के सब के पास तीन तीन चार चार मकान हैं, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं । इस के बावजूद गवर्नमेंट उन को मौका दे रही है । जमीन के अधिग्रहण के बारे में सुझाव देने के लिये आप ने एक कमेटी बनाई थी श्री ए० एन० मुल्ला जब लोक सभा के सदस्य थे उन की अध्यक्षता

में उन्होंने तमाम जगह घूम कर सारी स्थिति का पता लगाया और रिपोर्ट दी कि इस के लिए कानून का मसविदा पेश करना चाहिए। लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ। रघुरमैया साहब इस के ऊपर ध्यान दें और जमीन अर्जन के बारे में कानून शीघ्र लाएं ताकि इस में मनमानी काम न हो सके।

आखरी बात पी ऐण्ड टी डिपार्टमेंट से संबंधित है। पी एण्ड टी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स हैं जिन को ई०डी० एज० कहते हैं। यह हमारे देश में एक लाख गांवों में पोस्ट आफिसेज हैं जिन में दो लाख कर्मचारी काम करते हैं। वे पांच पांच घंटे काम करते हैं। उस के काम करने का तरीका बड़ा कठिन है। देहातों में उन को पैदल घूमना पड़ता है, चिट्ठियां बांटनी पड़ती है, मनी आर्डर देने पड़ते हैं और दूसरे काम करने पड़ते हैं। लेकिन उन की तनख्वाह बहुत कम है। 60.50 और 85 रुपये से उन को तनख्वाह मिलती है। दो तरह के लोग वह है। होना चाहिए, कम से कम 78 रुपये से 130 रुपये। फिर इन को और कोई भी सहूलियत नहीं मिलती। न डी० ए० मिलता है न प्रोमोशन के अवसर मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इन की ओर ध्यान दे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं। वह रुपये की कमी का बहाना बनाते हैं। मैं उन से कहूंगा कि इन गरीबों के लिए वह ऐसी बात न करें। इन ई डी एज को सरकार पूरी तनख्वाह दे, उन को डी ए दे और इन के लिए प्रोमोशन का चैनेल बनाए ताकि ये भी समझ सकें कि हम भी आजाद हिन्दुस्तान में रहते हैं।

इन शब्दों के साथ में इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान खींच रहा हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार इन के ऊपर कार्यवाही करेगी।

श्री एस० एम० बैनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष महोदय : देखिए, कुछ थोड़ा बहुत तो रूल आबजर्व करना चाहिए। न पहले से कोई इंटीमेशन है न कोई और सूचना है, एक दम से खड़े हो गए।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने आप को लिख कर भेजा था।

MR. SPEAKER: You cannot circumvent like this. You just get up and then try to speak.

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल दो मिनट दे दीजिए। क्या हो जायेगा ? मान लीजिए एक बार गलती ही हो गई।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन हो, दो दिन हो, आप तो जानबूझ कर हमेशा ऐसा करते हैं। एक मिनट में कह लीजिए जो कुछ कहना हो।

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Speaker, Sir, I wanted your permission right in the beginning. I shall only confine myself to those points which directly concern the Finance Minister. Sir, fortunately, the Finance Minister is here; Mr. Subramaniam is here. As he has returned from abroad, I do not want to tax him. But, he is fully aware that according to the Pay Commission's recommendation which has been accepted by the Government. ... Sir. Will you ask Mr. Vayalar Ravi not to disturb the Minister?

SHRI C. SUBRAMANIAM: I know what he is talking.

SHRI S. M. BANERJEE: I want him to listen also. According to the Pay Commission's Recommendation which has been accepted by the Government, Sir, Central Government employees are entitled to five instalments of dearness allowance. But, Sir, with all our eloquence, with all our force, sincerity and humility and

what else, we have not been able to convince the Finance Secretary in both the meetings held on the 15th and 21st April 1975. We could not extract any assurance from him. His only reply was that he will convey our views to Government. By Government, I mean, the Finance Minister who is included in Government. It will really be a great tragedy if the Central Government employees are not paid their earned dearness allowance of five instalments. I would also like to know from the Government, since no amount has been provided in the Budget, since there is no provision in the Budget—this has been commented upon by the Press also—whether it is a fact that the Deputy Chairman of the Planning Commission has stood in the way of this payment and if so, it is the duty of the Government to overcome that and in regard to that, the Cabinet should take a decision and pay these five instalments.

My second point is in regard to the payment of *ad-hoc* dearness allowance which has been recommended by the P & T to the Finance Ministry for extra departmental staff. Extra-departmental employees number about two lakhs. Thy have not been paid dearness allowance instalments although Central Government employees have been paid earlier. It is a question of payment of dearness allowance on *ad-hoc* basis. I would request the Government that they should take a decision and pay them.

My third point is, for the working and non-working journalists, a Wage Board has been appointed. But, Sir, the pampered organisation of the newspaper magnates has gone to the Court of Law. Sir, they are demanding payment of interim relief till the report is submitted by the Wage Board. So the working journalists and non-working journalists should also got them.

Lastly about the Grindlays Bank. Trouble is going on there. This bank is famous for its anti-national activities in many ways which have been proved in this House. They published a map showing Kashmir as a disputed territory. They have started a tirade against the employees of the bank. There may be a general strike. I would request the hon. Minister in all seriousness to see that this confrontation is avoided. Kindly see that there is a solution, that there is some understanding between the workers and the bank management.

With these words, I would request that the DA should not be impounded. I am not uttering a threat. But there is frustration among Central Government employees. The Central Government employees should not be deprived of the DA due to them. They should not be held responsible for any inflation. After all, the dock workers got it, the public undertakings workers got it, the jute workers got it. But when it comes to the Central Government employees, it is said their number is more, as if we have increased the number. It would be a sad commentary on our planning if one section which is earning for the Government, which is working for the Government, is denied this benefit.

With these words, I would request the Finance Minister to give some sort of assurance which will allay the fears of the Central Government employees that the entire amount is going to be impounded.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: Including the Lok Sabha Secretariat staff.

SHRI P. G. MAVALANKAR: *rose.*

MR. SPEAKER: You had not sent intimation. You may speak.

This is not to be treated as a precedent.

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): I am grateful to you, Mr. Speaker, Sir, for permitting me to raise a few points.

It is a very great tragedy that the Demands of a number of Ministries have had to be guillotined this afternoon, leaving us really no scope for discussion of various important points which are agitating the public. I will be very brief.

First, I will say a few words about the UGC, its functioning and its allotment of funds. I am sorry to find that the Chairman's post is vacant for a long time and the allotment of UGC grants to various universities is not according to the needs of the regional places. I am afraid the grants are given disproportionately to Central Universities, particularly Jawaharlal Nehru University. I think this needs to be looked into. The UGC must be able to spend its limited allotment of funds to various universities in a proper and balanced way.

Secondly, about the Lok Sabha Secretariat and the provisions for the Lok Sabha Library and Research facilities. I am sorry there is no time to discuss this in detail. But many of us who use the library and research facilities are very distressed to find that the provision for proper equipment, I would say not only equipment, but enhancement of the library and reasearch facilities, is not being looked into, because the grants made available to the Lok Sabha library and other provisions are very inadequate. This should have been really a matter of no debate because unless MPs are well informed and served in terms of facilities, library and research facilities, how can they really serve better?

Also about certain allowances to be made available to the staff, nowadays we find that we are spending time beyond six so many days in a week and the entire staff is working for long hours. I should have thought that the Lok Sabha people—I also include the Rajya Sabha in this—the whole Parliament Secretariat should be given a little more justice by the Finance Ministry.

Two more points, and I have done. I hope the Finance Minister will particularly listen to what I have to say——this is not a point I have made before; I do not want him to miss a single point—with regard to a very serious state of affairs going on in the State Bank of India. Surely the SBI is one of the public financial institutions and it cannot be governed on the basis of one individual's whims or one individual's arbitrary ways of doing things. It is a very serious piece of information that I have to give to this House, that the Chairman of the State Bank is functioning in a very autocratic and dictatorial manner as regards the question of the succession to himself as Chairman and various higher posts at the higher administrative level. He does not seem to be consulting anybody except himself and he has been running it as a one man show; he is not consulting the managing director and the nine general managers of the various circles plus seven subsidiaries; there are 16 top persons. You will be sorry to note that one appointment had been recently made——I do not want to give the names——as the Deputy General Manager; he has superseded ten senior officers in the cadre of general managers of various circles. It has resulted in a lot of frustration among the top people at the State Bank. If this frustration is allowed to continue I am afraid the State Bank's function will deteriorate further. My information is that in March 1972 a conference of Chief General Managers was held and at that Conference the State Bank Chairman gave the management succession plan, appointing his own successor.... (*Interruptions*). I am asking the Finance Minister to state the correct position. The Chief General Managers objected at that conference and the Chairman of the State Bank told them brusquely: "you will have to accept this man as my successor; no questions to be asked!" He cannot act as: "I am the monarch of all I survey." I have information that even the Reserve Bank is objecting to this kind of succession management plan mooted out by the Chairman of the

[Shri S. M. Banerjee]

State Bank. Finally, when the Chairman went abroad he gave written instructions that in his absence all the papers should be sent to the Vice Chairman. The Vice Chairman is an industrialist; he is not an expert in banking. I do not want to mention his name. But the point is that the Chairman has given these written instructions to the Managing Director. Such instructions are *ultra vires* of the rules and regulations of the State Bank of India. The Finance Minister should assure the House that the State Bank will not be run as a one man show and that it will be run on the basis of certain principles, certain rules and regulations.

Finally, there is the question of the freedom fighters' home in Delhi in which only seven persons are at present living. It is located opposite the Willingdon Hospital in New Delhi, on the Baba Kharag Singh Marg. One of them is a freedom fighter from Gujarat and last week he came to me with tears in his eyes and told me: there was no drinking water; no hot water for bath, no facility for eating. All this inspite of the fact that the Government of India had stated that a home for the freedom fighters would be set up and two freedom fighters from each State would be provided facilities, if they have no persons to look after them. Each freedom fighter pays Rs. 100 out of Rs. 200 which he gets as pension; inspite of that this home is not being looked after properly. In the evenings a number of persons are using it as a shelter.

MR. SPEAKER: Such points should be sent in advance so that the Minister could have known them.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): With your permission, I suggest for the consideration of the hon. Members that with regard to the points concerning various other Ministers, certainly information will be passed on to them and such action as is necessary will be taken by them. With regard to the points relating to my Ministry, if you permit me, I would rather deal with them in my reply to the debate on the Finance Bill so that I may deal with them in a comprehensive manner rather than deal with them just now. I hope the House will agree with me in regard to this.

श्री मधु लिमये . नोटिस देने का क्या मतलब है फिर । हम लोग बेवकूफ साबित हो गये । इन पौइंट्स का जवाब आप बाद में दे सकते हैं जिनका नोटिस अभी दिया गया। लेकिन मैंने जो सवाल उठाये हैं उन का जवाब तो मुझे चाहिये । 6, 6, मिनिस्टर्स का जवाब मैंने ले लिया है । नही तो आप नोटिस वाली प्रथा को खत्म कर दीजए ।

MR. SPEAKER: Kindly sit down. Now he has categorically said that the points raised by him will not be ready now (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये मै आप की व्यवस्था चाहता हूं । फिर नोटिस की प्रणाली क्यों आप ने शुरू की ? जिन का जवाब अभी दे सकते है वह तो करे ।

MR. SPEAKER: He is not in a position to answer those points. It is quite clear. He has said that some points relate to other Ministries. So far as his Ministry is concerned, to the point raised by Shri Mavalankar, he will reply tomorrow.

श्री मधु लिमये : यह पहली बार ऐसा हो रहा है । मखौल बन गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मखौल का इस में क्या सवाल है ।

SHRI S. M. BANERJEE: Mr. Speaker, Sir, I raised a point of order.

MR. SPEAKER: Mr. Madhu Limaye is very much correct. He has raised questions on Jawaharlal Nehru University.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I confine myself to the question of D. A.

which is dealt with by the Finance Ministry. I have not said anything else. I have been raising this question since ages.

MR. SPEAKER: Now, he will reply tomorrow. The questions concerning his Ministry will be replied by him tomorrow.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I said that I would reply to these points in my reply to the Debate on the Finance Bill and naturally many important points were raised, for example D.A. It cann't just be casually dealt with. (*Interruptions*). Therefore, I would respectfully submit that the other points also will be made and I would deal with all these points when I reply to the debate tomorrow.

श्री मधु लिमये : यह बहुत अनहैल्दी प्रैक्टिस हो जायगा । आप इस बार छूट देंगे तो आगे से इस का कोई महत्व ही नहीं रह जायगा । इस के अलावा शिक्षा मंत्रालय को नोटिस दिया गया, उद्योग मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं ।

MR. SPEAKER: This relates to many Ministries not one and I think, this Ministry, when the notice was given, should have been present, be If this is an omission, they will be reminded tomorrow. There is no use of arguing. (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये : शिक्षा मंत्री हैं, उद्योग मंत्री यहां पर बैठ हुए हैं ।

MR. SPEAKER: We will have to revise this Rule about notices. When it comes to the Speaker, the notice will go to the Minister also.

श्री मधु लिमये : इस को अगर प्रीसीडेंट बनाया जायगा तो मैं इस को ऐक्सैप्ट करने वाला नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जिस मिनिस्ट्री को आप पूछना चाहते हैं उस मिनिस्ट्री को भी आप को देना पड़ेगा । अब एक डेढ़ बजे आया, दूसरा सुबह आया ।

श्री मधु लिमये : हम ने 10 बजे से पहले दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : उस के बारे में मैं पूछूंगा । एक आप ने कंसालोंडेटेड नोटिस दे दिया जिस में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इनवाल्व्ड हैं ।

19.00 hrs.

श्री मधु लिमये : आप ने जो नियम बनाया है उस के अनुसार दिया । हम क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : वह तरीका बदलना पड़ेगा ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं इस को मानने वाला नहीं हूं । नोटिस देना ही बेकार हो गया है । एक एक कर के हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): This should not be a precedent for the future.

MR. SPEAKER: I think in future we should have a separate notice for each Ministry. If they are directed to separate ministries, there should be separate notices. Those notices which come before 10 o'clock will be sent to the Ministers concerned and those Ministers will then be required to be present.

श्री मधु लिमये : इस के पहले 6, 6, मिनिस्टर्स ने यहां आ कर जवाब दिया है । आप उस की कौपी चाहते हैं तो साइक्लोस्टाइल कर के भेज दें ?

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में कुछ करना पड़ेगा ।

The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services

of the financial year 1975-76, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

Division No. 21.] [19.02 hrs

Achal Singh, Shri

Agrawal, Shri Shrikrishna

Ambesh, Shri

Ansari, Shri Ziaur Rahman

Arvind Netam, Shri

Austin, Dr. Henry

Bajpai, Shri Vidya Dhar

Balakrishniah, Shri T.

Banamali Babu, Shri

Bhargava, Shri Basheshwar Nath

Bheeshmadev, Shri M.

Bhuvarahan, Shri G.

Brahmanandji, Shri Swami

Brij Raj Singh-Kotah, Shri

Buta Singh, Shri

Chaturvedi, Shri Rohan Lal

Daga, Shri M. C.

Dalbir Singh, Shri

Das, Shri Anadi Charan

Dhamankar, Shri

Dharia, Shri Mohan

Dhusia, Shri Anant Prasad

Ganesh, Shri K R.

Gangadeb, Shri P.

Gavit, Shri T. H.

Godara, Shri Mani Ram

Gopal, Shri K.

Gotkhinde, Shri Annasaheb

Hari Singh, Shri

Jamilurrahman, Shri Md.

Kadam, Shri J. G.

Kadannappalli, Shri Ramachandran

Kailas, Dr.

Kamble, Shri T. D.

Lakkappa, Shri K.

Lakshmikanthamma, Shrimati T.

Lambodar Baliyar, Shri

Mahajan, Shri Vikram

Mahajan, Shri Y. S.

Majhi, Shri Gajadhar

Malaviya, Shri K. D.

Mandal, Shri Jagdish Narain

Maurya, Shri B. P.

Melkote, Dr. G. S

Mirdha, Shri Nathu Ram

Mishra, Shri G. S.

Mohammad Yusuf, Shri

Mohapatra, Shri Shyam Sunder

Mohsin, Shri F. H.

Muhammed Khuda Bukhsh, Shri

Murmu, Shri Yogesh Chandra

Naik, Shri B. V.

Negi, Shri Pratap Singh

Pahadia, Shri Jagannath

Pandey, Shri Krishna Chandra

Pandey, Shri Narsingh Narain

Pandit, Shri S. T.

Pant, Shri K. C.

Paokai Haokip, Shri

Patil, Shri Krishnarao

Patnaik, Shri J. B.

Pradhani, Shri K.

Raghu Ramaiah, Shri K.

Ram Dhan, Shri

Ram Prakash, Shri
Ram Singh Bhai, Shri
Ram Swarup, Shri
Ramji Ram, Shri
Ramshekhar Prasad Singh, Shri
Rao, Shrimati B. Radhabai A.
Rao, Shri J. Rameshwar
Rao, Shri Nageswara
Rao, Shri Pattabhi Rama
Raut, Shri Bhola
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Shri K. Ramakrishna
Reddy, Shri P. Narasimha
Richhariya, Dr. Govind Das
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Rudra Pratap Singh, Shri
Sadhu Ram, Shri
Samanta, Shri S. C.
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Sarkar, Shri Sakti Kumar
Sathe, Shri Vasant
Satish Chandra, Shri
Satpathy, Shri Devendra
Savant, Shri Shankerrao
Sayeed, Shri P. M.
Shafquat Jung, Shri
Shahnawaz Khan, Shri
Shankar Dev, Shri
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri A. P.
Sharma, Dr. H. P.
Sharma, Dr. Shanker Dayal
Shetty, Shri K. K.
Shivnath Singh, Shri
Sokhi, Sardar Swaran Singh
Subramaniam, Shri C.
Surendra Pal Singh, Shri
Suryanarayana, Shri K.
Swaminathan, Shri R. V.
Swaran Singh, Shri
Tayyab Hussain, Shri
Tewari, Shri Shankar
Thakur, Shri Krishnarao
Tulsiram, Shri V.
Unnikrishnan, Shri K. P.
Verma, Shri Balgovind
Vikal, Shri Ram Chandra
Yadav, Shri Chandrajit
Yadav, Shri D. P.

NOES

Bade, Shri R. V.
Benerjee, Shri S. M.
Bhattacharyya, Shri Dinen
Chowhan, Shri Bharat Singh
Dandavate, Prof. Madhu
Jharkhande Rai, Shri
Lalji Bhai, Shri
Limaye, Shri Madhu
Mavalankar, Shri P.G.
Mohammad Ismail, Shri
Mukherjee, Shri Samar

Sambhali, Shri Ishaque

Shastri, Shri Ramavatar

MR. SPEAKER: The result* of the division is:

Ayes 115; Noes 13.

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, and 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April, 30, 1975/Vaisakha 10, 1897 (Saka).

---

*The following Members also re corded their votes:

AYES: Sarvashri Raghunandan Lal Bhatia and Raja Kulkarni.

NOES: Dr. Ranen Sen.

GMGIPND—Mono N.S.—694 L.S.—16-6-75—978.